

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

पीठासीन अधिकारी- श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 58/2021 जिला-सीकर।

1. बंशीधर पुत्र चन्द्रा जाति अहीर निवासी ग्राम मण्डूस्या वाया अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान।
2. प्रमूदयाल पुत्र चन्द्रा जाति अहीर निवासी ग्राम मण्डूस्या वाया अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान।
3. भोमा पुत्र चन्द्रा जाति अहीर निवासी ग्राम मण्डूस्या वाया अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान।
4. शिवनारायण पुत्र चन्द्रा जाति अहीर निवासी ग्राम मण्डूस्या वाया अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान।

अपीलान्टस्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 25.01.2019/
01.02.2019 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित-

1. वकील अपीलान्टस् श्री के.आर.शर्मा।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 11.01.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 25.01.2019/01.02.2019 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 17 दिनांक 05.06.2019 के द्वारा ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 337, 340, 341, 342, 343, 330, 985, 1014, 1015/1904, 1013, 1009, 1007, 1002, 1005, 1004 में से प्रस्तावित रकवा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने "राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज-6 /2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक 2619-44/राजस्व/2016/दिनांक 16.08.2016 एवं पत्रांक 4328-53 राजस्व/2016 दिनांक 02.11.2016" के द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में ग्राम मण्डूस्या के खसरा नम्बर 337, 340, 341, 342, 343, 330, 985, 1014, 1015/1904, 1013, 1009, 1007, 1002, 1005, 1004 में से प्रस्तावित रकवा का भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एवं गै0मु0 रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किये जाने के आदेश दिये।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर दिनांक 25.01.2019/01.02.2019 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पॉडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्टस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि कृषि भूमि वाके ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खसरा नम्बर 1969/1009, 1970/1009, 1971/1009,

1982/1013 राजस्व रिकार्ड में हिस्से अनुसार अपीलान्ट के नाम दर्ज व अमल है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में कही भी अंकित नहीं किया है कि उक्त प्रस्तावति रास्ता किसकी खातेदारी में से है। निजी है या सार्वजनिक है तथा ना ही खातेदार काश्तकार को सुनवाई हेतु किसी प्रकार का नोटिस प्रेषित किया गया और ना ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। अपीलार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1969/1009, 1970/1009, 1971/1009, 1982/1013 में से रास्ता काटा गया है जबकि पहले से ही अन्य खातेदारों के पास मौके पर ग्राम मण्डूस्या में जाने के लिये प्रचलित रास्ता उपलब्ध था एवं मौके पर उक्त खसरा नम्बरान में कभी भी रास्ता चालू नहीं रहा है और ना ही कभी आवागमन इस रास्ते पर रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने ना तो तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कोई रिपोर्ट का अवलोकन किया गया और ना ही तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति को मौका मुआवना किया है और ना ही राजस्व रिकार्ड को बिना समझे और अवलोकन किये तथा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को समझे अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन ओश बिना किसी कानूनी प्रावधान के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 तथा राजस्थान भू राजस्व (भूअभिलेख) नियम 1959 के विपरीत पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 25.01.2019/01.02.2019 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2019/01.02.2019 का है लेकिन अपीलान्ट्स को जानकारी का अभाव के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 18.10.2021 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 337, 340, 341, 342, 343, 330, 985, 1014, 1015/1904, 1013, 1009, 1007, 1002, 1005, 1004 के खातेदारों की भूमियों में से होकर रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 05.06.2019 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने रिपोर्ट पटवारी हल्का हथौरा, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2019/01.02.2019 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रचलित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।
7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते हैं। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पॉन्डेंट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव दिनांक 05.06.2019 के अनुसार ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 337, 340, 341, 342, 343, 330, 985, 1014, 1015/1904, 1013, 1009, 1007, 1002, 1005, 1004 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को

भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2019/01.02.2019 पारित किया गया है।

8. हम समझते हैं कि अपीलांटस् प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2019/01.02.2019 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं। अपीलांटस् वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 1969/1009, 1970/1009, 1971/1009, 1982/1013 के खातेदार होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार अपीलांटस् को नोटिस जारी कर उन्हें सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस् को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये ही केवल तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है तथा प्रकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है।
9. अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांटस् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2019/01.02.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात से प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित उवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

17/11/2022
(बाबूलाल गोयल)

अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 11.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/11/2022
(बाबूलाल गोयल)

अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर